Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

सामान्य हिन्दी एवं पत्र लेखन

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGPM01

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

सामान्य हिन्दी एवं पत्र लेखन

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPCS DLP विषय सूची (Contents)

1.	**भाषा-बोध**	**5-11**
2.	**हिन्दी भाषा का विकास काल**	**12-20**
3.	**हिन्दी वर्णमाला**	**21-32**
4.	**शब्द-रूप**	**33-45**
	4.1 संज्ञा	33
	4.2 सर्वनाम	34
	4.3 लिंग	36
	4.4 वचन	39
	4.5 कारक	42
5.	**क्रिया**	**46-64**
	5.1 क्रिया एवं उनके प्रकार	46
	5.2 काल एवं उनके प्रकार	48
	5.3 वाच्य एवं उनके प्रकार	51
	5.4 अव्यय एवं उनके प्रकार	55
	5.5 क्रिया-विशेषण	60
6.	**वाक्य-रचना**	**65-75**
	6.1 सरल वाक्य	65
	6.2 मिश्र वाक्य	65
	6.3 संयुक्त वाक्य	71
7.	**पर्यायवाची शब्द**	**76-84**
8.	**विलोम शब्द**	**85-95**
9.	**शब्द-युग्म (समोच्चारित शब्दों के अर्थ-भेद)**	**96-111**
10.	**वाक्यांश के लिये एक सार्थक शब्द**	**112-135**
11.	**संधि एवं संधि-विच्छेद**	**136-149**
	11.1 संधि	136
	11.2 संधि-विच्छेद	143
12.	**सामासिक पद-रचना (समास) एवं समास-विग्रह**	**150-157**
	12.1 सामासिक पद-रचना (समास)	150
	12.2 समास-विग्रह	155
13.	**हिन्दी शब्द-भंडार (तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द)**	**158-165**

14. विशेषण और विशेष्य **166-173**

14.1 विशेषण 166

14.2 विशेष्य 172

15. वर्तनी (शब्द-शुद्धि) 174-184

16. वाक्य-शुद्धि 185-202

16.1 वाक्य-रचना के नियम 185

16.2 शब्द-प्रयोग संबंधी महत्त्वपूर्ण सुझाव 188

17. उपसर्ग एवं प्रत्यय 203-222

17.1 उपसर्ग 203

17.2 प्रत्यय 206

18. मुहावरे और लोकोक्तियाँ (कहावतें) 223-255

18.1 मुहावरे 223

18.2 लोकोक्तियाँ (कहावतें) 240

19. हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल-विभाजन एवं नामकरण 256-265

20. छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ 266-270

21. अनुवाद (गद्यावतरण) 271-281

21.1 हिन्दी से अंग्रेज़ी 271

21.2 अंग्रेज़ी से हिन्दी 275

22. अपठित गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षिप्त लेखन 282-291

22.1 शीर्षक लेखन 282

22.2 संक्षिप्त लेखन 282

23. पत्रकारिता 292-295

24. प्रारूप लेखन (पत्र लेखन) 296-319

24.1 पत्र 296

24.2 अनौपचारिक पत्र 297

24.3 शिकायती पत्र 298

24.4 शासकीय पत्र 300

24.5 अर्द्धशासकीय पत्र 303

24.6 परिपत्र 305

24.7 अधिसूचना 307

24.8 प्रपत्र 310

24.9 विज्ञापन 311

24.10 पृष्ठांकन 312

24.11 टिप्पणी एवं टिप्पण लेखन 313

24.12 प्रतिवेदन 316

अध्याय
1

भाषा-बोध

विश्व में प्रचलित हज़ारों भाषाओं में एक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण भाषा हिन्दी भी है। विकसित एवं समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिन्दी प्रमुखता से स्थापित है। हिन्दी न केवल भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, वरन् भारत के बाहर भी भारतीय मूल के प्रभुत्व वाले देश, यथा-फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो आदि देशों की भी भाषा है।

भाषा

'भाषा' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'भाष' धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है–व्यक्त करना अथवा कहना। संस्कृत में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। इस शाब्दिक अर्थ के अनुरूप 'भाषा' वह वाचिक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने संपूर्ण मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त करता है।

भाषा मनुष्य के मनोभावों के पारस्परिक आदान-प्रदान का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक वाचिक माध्यम है। वाचिक माध्यम के समान ही लेखन भी भाषा का महत्त्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है, जो लिपि-चिह्नों के प्रयोग से संभव हुआ है। इसी तरह, सांकेतिक माध्यम भी भाषा का एक अन्य माध्यम है। संक्षेप में, भाषा के उपर्युक्त तीनों माध्यमों का प्रयोग मनुष्य द्वारा अपने अन्यान्य भावों एवं विचारों की सार्थक एवं पूर्ण अभिव्यक्ति ही है।

भाषा के अर्थ स्पष्टीकरण हेतु हिन्दी के भाषाविदों ने इसे अपने-अपने स्तर से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख करना विशेष समीचीन होगा।

आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के शब्दों में, "उच्चरित ध्वनि-संकेतों की सहायता से भाव या विचार को पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय या सहयोग करते हैं, उन यादृच्छिक, रूढ़ ध्वनि-संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं।"

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"

एक **पाश्चात्य विद्वान क्रोचे** ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, "भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिये संगठित करते हैं।"

एक अन्य पाश्चात्य विद्वान वेंद्रे के शब्दों में, "भाषा मनुष्यों के बीच संचार-व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है।"

विशेषता: उपर्युक्त विद्वानों की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर भाषा की कुछ निश्चित विशेषताएँ चिह्नित होती हैं, जैसे–

(क) भाषा का संबंध मात्र मनुष्य से है।
(ख) भाषा का स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है।
(ग) भाषा प्रतीकात्मक (लेखन रूप में) होती है।
(घ) भाषा के सार्थक ध्वनि-संकेतों से मनोभाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति एवं विनिमय होता है।
(ङ) भाषा के ध्वनि-संकेत उच्चारण में वर्णों एवं शब्दों में व्यक्त होते हैं।
(च) भाषा परिवर्तनशील होती है।
(छ) परिवर्तनशील प्रकृति के कारण भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की ओर गतिशील होती है।
(ज) भाषा क्षेत्रीय सीमा से बँधी होती है।
(झ) भाषा का अस्तित्व सांस्कृतिक विकास-पतन से सीधा जुड़ा होता है।

(ख) क्रिया-रचना के दृष्टिकोण से भी दोनों के बीच पर्याप्त अंतर है। निम्नांकित उदाहरणों पर ध्यान दें–

पश्चिमी हिन्दी (वर्तमान काल में)	मानक हिन्दी
चाल्लू हूँ।	चलता हूँ।
चले है।	चलता हूँ।
मारूँ था।	मारता था।

इसी तरह, 'उठ्या', 'चल्या', 'लिख्या' आदि भूतकालिक क्रिया का मानक रूप क्रमशः 'उठा', 'चला', 'लिखा' हो गया है।

(ग) कारक के विभक्ति-चिह्नों में भी दोनों के मध्य काफी अंतर है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दें–

कारक	पश्चिमी हिन्दी (खड़ी बोली)	मानक हिन्दी
कर्त्ता	णै, नै	ने
कर्म	क, नै	को
करण	मू, सै	से
संप्रदान	कू, णे, ने	के लिये
अपादान	सु, सै	से
अधिकरण	उप्पर, पै	में, पर

(घ) सार्वनामिक अंतर- मुज → मुझ, म्हारा → हमारा आदि।

(ङ) क्रिया-विशेषण संबंधी अंतर– इब → अब, इभी → अभी, क्यूँ → क्यों, जाँ → जहाँ, ह्याँ → वहाँ आदि।

(च) स्त्रीलिंग प्रत्यय संबंधी अंतर– पंडतानी → पंडितानी, सुनारण → सुनारिन आदि। (पश्चिमी हिन्दी-प्रत्यय– 'इन', 'अण'; मानक हिन्दी-प्रत्यय–'इन')

इस प्रकार हिन्दी के मानकीकरण में भले ही पश्चिमी हिन्दी की खड़ी बोली को स्रोत या आधार भाषा के रूप में लिया गया हो परंतु मानक हिन्दी इससे नितांत भिन्न होते हुए स्वतंत्र प्रकृति और पहचान बनाने में सफल रही है। मानक हिन्दी हर स्तर और रूप में मेरठी हिन्दी से बहुत आगे निकल गई है। इसने अपनी भाषायी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप अन्यान्य देशी एवं विदेशी भाषाओं से ग्राह्य सामग्रियों को ग्रहण कर समृद्ध भाषा का मार्ग प्रशस्त किया है, जो न केवल उसके राष्ट्रभाषा के गौरव के अनुकूल है, वरन् विश्व की तृतीय प्रमुख भाषा की प्रसिद्धि के अनुरूप भी है।

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिये– **CGPCS (Mains) 2017**
   (i) भाषा (ii) बोली
2. भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
3. भाषा के प्रमुख मान्य रूप कौन-कौन से हैं?
4. हिन्दी व्याकरण की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में लिखिये।
5. आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार भाषा को परिभाषित कीजिये।

अध्याय
2

हिन्दी भाषा का विकास काल

हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है, जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्यभाषाओं का विकास अलग-अलग पद्धति से हुआ है। भारतीय आर्यभाषा के विकास को प्रायः तीन चरणों में विभक्त किया जाता है–

- **प्राचीन आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 2000 ई.पू. से 500 ई.पू. तक माना गया है। इसके अंतर्गत दो स्थितियाँ शामिल हैं-
  - वैदिक संस्कृत (2000 से 1000 ई.पू.) तथा
  - लौकिक संस्कृत (1000 से 500 ई.पू.)
- **मध्यकालीन आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं का विकास काल 500 ई.पू. से 1000 ई. तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत निम्न चरण मिलते हैं जो इसप्रकार हैं-
  - पालि (500 ई.पू. से ईसवी सन् के आरंभ तक)
  - प्राकृत (ईसवी सन् के आरंभ से 500 ई. तक)
  - अपभ्रंश तथा अवहट्ट (500 ई. से 1100 ई. तक)
- **आधुनिक आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 1100 ई. से अभी तक माना जाता है। इनमें हिन्दी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा सिंधी जैसी भाषाएँ शामिल हैं।

हिन्दी भाषा का विकास-क्रम

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है, जिसका विकास मूलतः प्राचीन आर्यभाषा संस्कृत से हुआ है। संस्कृत और हिन्दी के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली भाषिक स्थितियों को हम मध्यकालीन आर्यभाषाएँ कहते हैं। अतः हिन्दी के विकास का अध्ययन मध्यकालीन आर्यभाषाओं से आरंभ करना उचित प्रतीत होता है।

हिन्दी का उद्भव कब हुआ, इस पर भाषा-विज्ञानियों में गंभीर मतभेद हैं। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश के विकास से ही हिन्दी का विकास मान लेना चाहिये तो दूसरे छोर पर कुछ अन्य का मत है कि पुरानी हिन्दी के विकास से पहले की स्थितियों को अपभ्रंश और अवहट्ट के रूप में स्वतंत्र माना जाना चाहिये और हिन्दी की शुरुआत पुरानी या प्रारंभिक हिन्दी से मानी जानी चाहिये।

वर्तमान भाषा-विज्ञान में सामान्यतः पुरानी हिन्दी से ही हिन्दी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है। इसका अर्थ है कि हिन्दी का आरंभ लगभग 1100 ई. में हो गया था। किंतु यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि तब से आज तक की विकास-यात्रा कई अलग-अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस कारण हिन्दी के विकास को भी तीन चरणों में बाँटा जाता है-

- प्राचीन हिन्दी (1100 ई. से 1350 ई. लगभग)
- मध्यकालीन हिन्दी (1350 ई. से 1850 ई. लगभग)
- आधुनिक हिन्दी (1850 ई. से अभी तक)

प्राचीन हिन्दी

प्राचीन हिन्दी, पुरानी हिन्दी तथा आरंभिक हिन्दी शब्द कुछ विवादों के बावजूद प्रायः समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिये गए हैं। इस काल में हिन्दी का कोई निश्चित स्वरूप तो नहीं मिलता, लेकिन हिन्दी की बोलियों के स्वतंत्र विकास की पूर्वपीठिका ज़रूर दिखाई देती है। इस काल में हिन्दी भाषा अपभ्रंश के केंचुल को धीरे-धीरे छोड़कर हिन्दी की बोलियों के रूप में विकसित हो रही थी।

अध्याय
3

हिन्दी वर्णमाला

हिन्दी वर्णमाला नामक अध्याय के अंतर्गत हिन्दी वर्णमाला से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया गया है तथा हिन्दी लेखन कार्य में प्रयोग होने वाले विराम चिह्नों को भी स्पष्ट किया गया है।

हिन्दी वर्णमाला

वर्ण

उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े अथवा खंड नहीं किये जा सकते हैं अर्थात् वर्ण भाषा की ऐसी छोटी इकाई है जिसके टुकड़े अथवा खंड नहीं किये जा सकते हैं।

जैसे- व, क, अ, ई इत्यादि।

वर्णमाला

वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है अर्थात् किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जैसे- हिन्दी की वर्णमाला अ, आ, इ, ई, क, ख, ग इत्यादि।

हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिन्दी भाषा में कुल 57 वर्ण हैं।

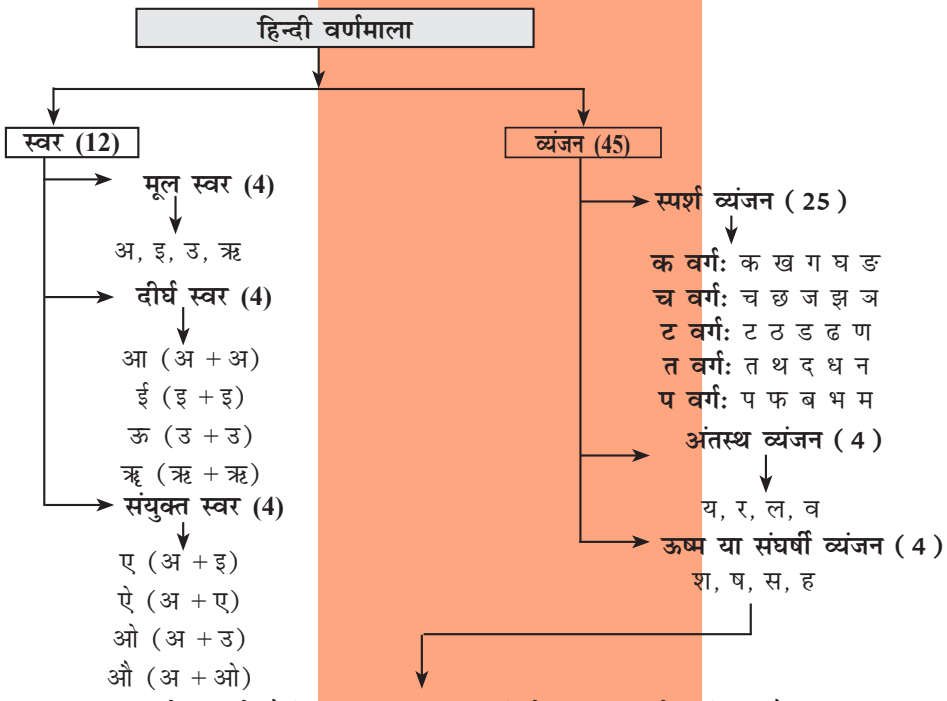

ऊपर दिये गए ये तैंतीस (33) व्यंजन हिन्दी में मूल रूप से स्वीकृत हैं।

- इनके अतिरिक्त विकास प्रक्रिया में आठ अन्य व्यंजन भी हिन्दी में स्वीकृत हुए हैं-
  - मराठी से (1) – ळ
  - अपभ्रंश से (2) – ड़, ढ़
  - फारसी से (5) – क़, ख़, ग़, ज़, फ़ (नुक्ते के साथ)
- इन सभी इकतालीस (41) व्यंजनों के अतिरिक्त हिन्दी में चार संयुक्त व्यंजन स्वीकृत हैं- क्ष, त्र, ज्ञ, श्र।
- **इस प्रकार हिन्दी भाषा में कुल 45 व्यंजन स्वीकार किये गए हैं।**

अध्याय
4

शब्द-रूप

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित सामान्य हिन्दी के शब्द-रूप संबंधी अध्याय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन एवं कारक आदि को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है।

4.1 संज्ञा

परिभाषा

जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भाव आदि के नाम का बोध हो, उस विकारी शब्द को संज्ञा कहा जाता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "किसी प्राणी, चीज़, गुण, काम या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।"

उदाहरण- सुमन, राम, श्याम, गंगा, कनाडा इत्यादि।

संज्ञा के भेद

संज्ञा के कुल पाँच प्रमुख भेद माने गए हैं-

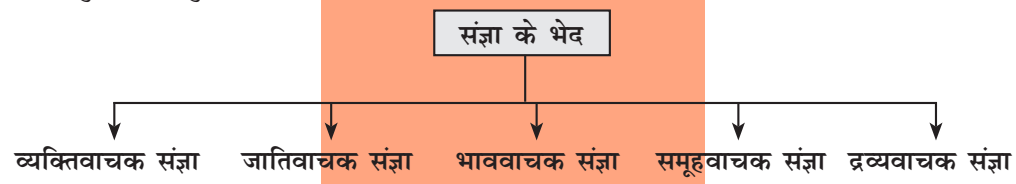

1. *व्यक्तिवाचक संज्ञा*

किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे–राम, गंगा, भारत, दिल्ली आदि।

(i) **व्यक्तियों के नाम**–राम, मुकेश, मोहन, सीता इत्यादि।
(ii) **दिशाओं के नाम**–पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि।
(iii) **देशों के नाम**–भारत, अमेरिका, कनाडा इत्यादि।
(iv) **शहरों के नाम**–दिल्ली, पटना, इलाहाबाद इत्यादि।
(v) **समुद्रों के नाम**–काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर इत्यादि।
(vi) **नदियों के नाम**–गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी इत्यादि।

2. *जातिवाचक संज्ञा*

जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे–मनुष्य, घर, नदी, देश इत्यादि।

जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं-

मनुष्य–पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, भाई, चाचा इत्यादि।
पशु-पक्षी–गाय, बकरी, शेर, मोर, तोता इत्यादि।
वस्तुओं के नाम-मेज़, कुर्सी, किताब इत्यादि।
पदों या व्यवसायों के नाम–शिक्षक, लेखक, पत्रकार इत्यादि।

अध्याय
5

क्रिया

इस अध्याय के अंतर्गत क्रिया एवं उनके प्रकार, काल एवं उनके प्रकार, वाच्य एवं उनके प्रकार, अव्यय एवं उनके प्रकार तथा क्रिया-विशेषण आदि को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।

5.1 क्रिया एवं उनके प्रकार

सामान्य अर्थों में जब किसी शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का भाव उत्पन्न हो, उसे क्रिया कहा जाता है।

उदाहरण- खाना, टहलना, पढ़ना आदि।

क्रिया के रूप लिंग एवं वचन आदि के अनुसार बदलते रहते हैं इसलिये उसे विकारी शब्द माना गया है। क्रिया के मूल में धातु निहित होती है। यदि 'लिखना' क्रिया को लिया जाए तो इसकी मूल धातु 'लिख' है तथा 'ना' प्रत्यय है। धातु 'क्रिया' पद के उस भाग को कहा जाता है जो किसी क्रिया के लगभग सभी रूपों में पाया जाता है। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातुएँ दो प्रकार की होती हैं-

- मूल धातु
- यौगिक धातु

मूल धातु

मूल धातु उसे कहा जाता है जो किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है।

जैसे- खा, जा, गा, रो आदि।

यौगिक धातु

यौगिक धातु उन धातुओं को कहा जाता है जिनका निर्माण 'प्रत्यय' जोड़कर किया जाता है।

जैसे- लिखना से लिखा, पढ़ना से पढ़ा आदि।

क्रिया के प्रकार (भेद)

रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रमुख भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं–

1. अकर्मक क्रिया 2. सकर्मक क्रिया

1. अकर्मक क्रिया

जिस क्रिया को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा उसके कार्य का फल कर्त्ता पर ही पड़े, उसे **अकर्मक क्रिया** कहते हैं। उदाहरणार्थ–

(i) राम सोता है।

(ii) यहाँ सोने का फल राम पर ही पड़ता है।

(iii) बहू लजाती है।

2. सकर्मक क्रिया

भाव को स्पष्ट करने के लिये जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे **सकर्मक क्रिया** कहते हैं। उदाहरणार्थ–

(i) राम आम खाता है। (ii) उसने कार बेच दी।

यहाँ राम कर्त्ता है। यहाँ राम के खाने के क्रिया का असर आम पर पड़ता है।

कभी-कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है।

जैसे- (i) राम गाता है। यहाँ गीत छिपा है।

(ii) उसने कार बेच दी।

अध्याय
6

वाक्य-रचना

वाक्य-रचना के आधार पर सर्वप्रथम यह समझना ज़रूरी होता है कि साधारणत: वाक्य परिवर्तन क्या है। वाक्य परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का बदलाव किये बिना उस वाक्य को एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना 'वाक्य परिवर्तन' कहलाता है। इस अध्याय के अंतर्गत सरल वाक्य, मिश्र वाक्य एवं संयुक्त वाक्य को स्पष्ट किया गया है तथा संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है।

6.1 सरल वाक्य

सरल वाक्य या साधारण वाक्य उस वाक्य को कहा जाता है, जिसमें एक उद्देश्य (कर्त्ता) तथा एक विधेय (क्रिया) होता है।

उदाहरण-

(i) राम फुटबॉल खेलता है।
(ii) मुझे जाना है।
(iii) राम लिखता है।
(iv) उसने कहा था।

उपर्युक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी वाक्यों में केवल एक कर्त्ता एवं एक क्रिया है अर्थात् एक उद्देश्य तथा एक विधेय है। अत: ये सभी सरल/साधारण/सामान्य वाक्य हैं।

6.2 मिश्र वाक्य

मिश्र वाक्य उस वाक्य को कहते हैं, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इस वाक्य को और सरल रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है- जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या उससे अधिक सहायक क्रियाएँ हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ चर्चित 'मुख्य उद्देश्य' और 'मुख्य विधेय' से आशय इन दोनों से बनने वाले वाक्यों से है और इन्हें क्रमश: 'मुख्य उपवाक्य' और 'आश्रित उपवाक्य' के अलावा 'मुख्य वाक्य' तथा 'सहायक वाक्य' के नामों से भी जाना जाता है। मुख्य और आश्रित वाक्य/वाक्यों को जोड़ने हेतु समुच्चयबोधक अव्यय' का प्रयोग किया जाता है। इस तथ्य को इस उदाहरण से सही तरह से समझा जा सकता है–वह कौन-सा भारतीय है, जिसने 'क्रिकेट-ईश्वर' सचिन तेंदुलकर का नाम न सुना हो। इस उदाहरण–वाक्य में मिश्र वाक्य के उपर्युक्त अर्थ/परिभाषा के दृष्टिकोण से 'वह कौन-सा भारतीय है' **मुख्य उद्देश्य/मुख्य उपवाक्य/प्रधान उपवाक्य/मुख्य वाक्य/प्रधान वाक्य** है, जबकि शेष वाक्य "जिसने 'क्रिकेट-ईश्वर' सचिन तेंदुलकर का नाम न सुना हो।" **मुख्य विधेय/आश्रित सहायक वाक्य/सहायक वाक्य** है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है- नवीन ने कहा कि कल मैं कार्यालय नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ। इस उदाहरण-वाक्य में पहले के उदाहरण से भिन्न तीन भाग हैं–

- नवीन ने कहा (मुख्य उपवाक्य/प्रधान उपवाक्य)
- कल मैं कार्यालय नहीं जाऊँगा (सहायक उपवाक्य/आश्रित उपवाक्य)
- क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ (सहायक उपवाक्य/आश्रित उपवाक्य)

इन उदाहरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि मिश्र वाक्य में प्रयुक्त एक या उससे अधिक सहायक/आश्रित उपवाक्य पूर्ण, स्पष्ट एवं सार्थक अर्थ देने या भाव प्रकट करने में सक्षम नहीं होते हैं। इनकी पूर्णता, स्पष्टता एवं सार्थकता मुख्य वाक्य/प्रधान वाक्य/उपवाक्य के साथ जुड़ने से होती है। इस प्रकार संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मिश्र वाक्य एक साथ एक से अधिक भावाभिव्यक्ति का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है, जो एकाधिक उपवाक्यों से युक्त होता है।

मिश्र वाक्य में कुल तीन प्रकार के गौण (आश्रित) उपवाक्य होते हैं, जो इस प्रकार हैं-

- संज्ञा उपवाक्य
- विशेषण उपवाक्य
- क्रिया-विशेषण उपवाक्य

अध्याय
7

पर्यायवाची शब्द

समान अर्थ वाले शब्द 'पर्यायवाची' शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के अधिकांश शब्दों को आत्मसात् करने के कारण हिन्दी में पर्यायवाची शब्दों की बहुलता है। पर्यायवाची शब्दों का वाक्य प्रयोग के अनुसार ही उचित निरूपण होता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द

शब्द	पर्यायवाची	शब्द	पर्यायवाची
आम	सहकार, रसाल, आम्र, अंब, अमृतफल, पिकबंधु, पियुंबु, अतिसौरभ	प्रशंसा	स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना
अग्नि	आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, हुताशन, कृशानु, रोहिताश्व, वैश्वानर, वह्नि	तरंग	उर्मि, लहर, वीचि, हिलोर,
पत्थर	प्रस्तर, पाहन, उपल, अश्म, शैल, पाषाण, शिला	जंगल	कांतार, विपिन, अरण्य, कानन, दाव, अटवी, वन
यमुना	सूर्यजा, अर्कजा, रविजा, कालिंदी, रवितनया, कृष्णा, हंससुता, भानुतनया	किनारा	सिरा, छोर, तीर, तट, कूल
समुद्र	जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, जलधाम, अब्धि, जलनिधि	भिक्षुक	मधुकर, याचक, भिखारी, भिखमंगा
नदी	निम्नगा, अपगा, कूलवती, तरंगिनी, सिंधुगामिनी, तटिनी, सरिता, निम्ना, स्रोतस्विनी	हाथी	गज, कुंजर, करी, दंती, हस्ति, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, मतंग, सिंधुर, नाग
स्वर्ण	हेम, हाटक, हिरण्य, जोतक, पुष्कल, रुक्म, जातरूप	कामदेव	मदन, अनंग, पंचशर, रतिनाथ, मकरध्वज, मीनकेतु, मनोज, कंदर्प, मार, स्मर, पुष्पधन्वा, मन्मथ, कुसुमशर, अतनु
इंद्र	शचीपति, मधवा, शक, सहस्राक्ष, सुरेंद्र, कौशिक, अमरपति, वासव, पुरुहुत, पुरंदर	जीभ	रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, चंचला
नैसर्गिक	प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक	घर	निकेतन, निलय, आयतन, अयन, गेह, गृह
हाथ	हस्त, कर, पाणि, भुजा, बाहु	मछली	झष, सफरी, मीन, मत्स्य
चांदनी	चंद्रातप, ज्योत्स्ना, कौमुदी, चंद्रकला, चंद्रिका, अमृत-तरंगिणी, चंप्रमरीची	कपड़ा	पट, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, चीर, दुकूल
सरस्वती	महाश्वेता, वागीशा, भारती, वीणापाणि, इला, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा	तालाब	सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, ताल, तड़ाग, पद्माकर, कासार, ह्रद
लक्ष्मी	पद्मा, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, इंदिरा	प्रभात	प्रातः, सवेरा, उषा, अरुणोदय
विष्णु	जनार्दन, विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, चतुर्भुज, जलाशायी, कमलेश, कमलापति, कमलाकांत	दर्पण	शीशा, आईना, प्रतिबिंबक, प्रतिमान
बगीचा	बगिया, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, निकुंज, फुलवारी	अश्व	बाजि, तुरंग, हय, सैंधव, रविसुत, घोटक, घोड़ा

अध्याय
8

विलोम शब्द

सामान्य अर्थों में किसी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द सजातीय शब्द होते हैं, जैसे– संज्ञा का विलोम संज्ञा, क्रिया का विलोम क्रिया, विशेषण का विलोम विशेषण होता है।

सामान्यतया अ, अप, अन्, निस, निर, वि, प्रति, दुर, दुस्, कु आदि उपसर्गों के प्रयोग से विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण होता है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है, जैसे- लाभ का विलोम हानि। अगर 'लाभ' का विलोम 'अलाभ' लिया जाए तो इससे भाषा की सुंदरता प्रभावित होगी, जबकि 'अलाभ' शब्द 'लाभ' का विपरीतार्थक शब्द है। अत: उपसर्गों तथा स्वतंत्र अर्थ वाले शब्दों के द्वारा प्रचलित सुंदरतम भाषा-स्थिति के साथ विलोम का चयन किया जाता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
प्रतिकूल	अनुकूल	उपमेय	अनुपमेय	विवेकी	अविवेकी	श्रोता	वक्ता
अध्यवसाय	अनध्यवसाय	सुलभ	दुर्लभ	सृष्टि	प्रलय	न्यून	अधिक
बर्बर	सभ्य	दीर्घायु	अल्पायु	स्वजाति	विजाति	धृष्ट	विनम्र, विनीत
ध्वंस	निर्माण	तृष्णा	वितृष्णा, तृप्ति	चुस्त	ढीला	स्थिर	अस्थिर
अनिवार्य	ऐच्छिक	अल्पज्ञ	बहुज्ञ	सुमति	कुमति	विभव	पराभव
यथार्थ	कल्पित, काल्पनिक	भूगोल	खगोल	अभिशाप	वरदान	जारज	औरस
चिरंतन	नश्वर	सहयोगी	विरोधी	उपादेय	अनुपादेय	मसृण	रुक्ष
नैसर्गिक	कृत्रिम	जोड़	घटाव	अधोगामी	ऊर्ध्वगामी	स्वर्ग	नरक
नर	नारी	पोषक	शोषक	विराट्	क्षुद्र/सूक्ष्म	इहलौकिक	पारलौकिक
कुख्यात	विख्यात	विधि	निषेध	संधि	विग्रह	संन्यास	गृहस्थ
आविर्भाव	तिरोभाव	कर्मण्य	अकर्मण्य	महात्मा	दुरात्मा	अति	अल्प
तरुण	वृद्ध	मंडन	खंडन	आगामी	विगत	ग्रहण	अर्पण
ह्रस्व	दीर्घ	स्थावर	जंगम	प्रधान	गौण	सरल	कठिन
शुष्क	आर्द्र, सिक्त	अनंत	अंत	विशेष	सामान्य	प्राचीन	अर्वाचीन, नवीन
संपन्न	विपन्न	थोक	फुटकर	समस्या	समाधान	यश	अपयश
उपेक्षा	अपेक्षा	पुरस्कार	दंड	अंतर्द्वंद्व	बहिर्द्वंद्व	संश्लेषण	विश्लेषण
गणतंत्र	राजतंत्र	कीर्ति	अपकीर्ति	अलभ्य	लभ्य	भाव	अभाव
परतंत्र	स्वतंत्र	असीम	ससीम	अपव्यय	मितव्यय	दु:खी	सुखी
साहचर्य	अलगाव	भिज्ञ/अभिज्ञ	अनभिज्ञ	उत्कृष्ट	निकृष्ट	दानव	मानव
स्पृश्य	अस्पृश्य	पुष्ट	क्षीण	ग्रामीण	शहरी	आदान	प्रदान
आवेशित	अनावेशित	गौरव	लाघव	निर्दय	सदय	अगम	सुगम

अध्याय
9

शब्द-युग्म (समोच्चारित शब्दों के अर्थ-भेद)

ऐसे शब्द जो वर्ण एवं मात्रा के सूक्ष्म अंतर के बावजूद मोटे तौर पर देखने में समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनका यह सूक्ष्म अंतर उनके अर्थों में अंतर ला देता है, वे शब्द-युग्म (समोच्चारित शब्दों के अर्थ-भेद) कहलाते हैं। यदि भूलवश ऐसे शब्द-युग्म में एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे– शब्द-युग्म 'अनिल' व 'अनल' को लें जिनके अर्थ क्रमशः वायु व अग्नि है। इन शब्दों के अर्थों के अंतर को जाने बिना एक की जगह पर दूसरे शब्द के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः यह आवश्यक ही नहीं, वरन् अनिवार्य है कि छात्र समुचित रूप से इन शब्द-युग्मों का अध्ययन करें, ताकि वे सही शब्द-युग्म का प्रयोग करने में सक्षम हो सकें। ऐसे महत्त्वपूर्ण शब्द-युग्म एवं उनके अर्थ एवं वाक्य-प्रयोग को प्रस्तुत किया गया है–

महत्त्वपूर्ण शब्द-युग्म (समोच्चारित शब्द) एवं उनके अर्थ

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अजर	देवता, जो बूढ़ा न हो	अमित	बहुत	आदि	प्रथम, प्रारंभ, वगैरह
अजिर	आँगन	अमीत	शत्रु	आदी	अभ्यस्त
अनिल	वायु, हवा	अंस	कंधा	आरति	विराम
अनल	अग्नि	अंश	हिस्सा, भाग	आरती	पूजा के लिये दीपक, नीराजन
अश्व	घोड़ा	अपेक्षा	आवश्यक, चाह	आवरण	पर्दा
अश्म	पत्थर	उपेक्षा	निरादर, अवहेलना	आमरण	मृत्यु तक
अमल	स्वच्छ	अनिष्ट	बुरा	असन	भोजन
अम्ल	खटास	अनिष्ठ	निष्ठा-रहित	आसन	बैठने की जगह
अंब	माता	अवलंब	सहारा	आदेश	आज्ञा
अंबु	जल	अविलंब	बिना देर किये, तुरंत	उपदेश	शिक्षा, सीख
अक्षि	आँख	अवधि	समय सीमा	आहार	भोजन
अक्षी	आँखवाली	अवधी	हिन्दी की एक बोली	उपहार	भेंट
अभिज्ञ	जानकार	अभिराम	सुंदर	इति	समाप्ति
अनभिज्ञ	अनजान	अविराम	निरंतर, बिना रुके	ईति	दैवी प्रकोप, बाधा
अनुभव	तजुर्बा	अलि, आलि	भौंरा	उद्यत (उद्यत)	तैयार
अभिनव	नया	अली, आली	सखी	उद्धत (उद्धत)	अक्खड़
उपयोग	व्यवहार में लेना	कंगाल	निर्धन	तरणि	सूर्य
उपभोग	भोगना	कंकाल	अस्थि-पंजर	तरणी	नाव
उत्पाद	उत्पन्न वस्तु	कृतज्ञ	उपकार मानने वाला	तनु	पतला
उत्पात	उपद्रव	कृतघ्न	उपकार को न मानने वाला	तनू	पुत्र
कोढ़ी	कोढ़ से पीड़ित	कृमि	कीड़ा	कड़ी	ज़ंजीर की इकाई
कोड़ी	बीस	कर्मी	कर्मचारी	कढ़ी	दही-बेसन के मिश्रण का व्यंजन

अध्याय
10

वाक्यांश के लिये एक सार्थक शब्द

किसी भी समृद्ध भाषा का एक महत्त्वपूर्ण गुण होता है– कम शब्दों में भावों एवं विचारों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति। हिन्दी भाषा इस क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध है। संधि, समास आदि हिन्दी भाषा के इसी गुण के परिचायक हैं और इसी श्रेणी में वाक्य या वाक्यांश के लिये एक शब्द भी समान रूप से सम्मिलित है। इसे 'अनेक शब्दों के लिये एक शब्द' के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य, विशिष्ट व गुणवत्तापूर्ण लेखन और विशेषकर संक्षिप्तीकरण में इसकी उपयोगिता स्वत:सिद्ध है।

भाषा अपनी विकास-यात्रा में इस प्रकार की आवश्यकता की महत्ता को महसूस करते हुए तदनुरूप शब्दों का निर्माण एवं अधिग्रहण करती है। इनके माध्यम से कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थों या भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। यहाँ यह कहना विशेष तर्कसंगत होगा कि यदि अनेक शब्दों के प्रयोग की बजाय एक शब्द ही पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम हो तो एक शब्द का प्रयोग युक्तिसम्मत होगा। 'वाक्य या वाक्यांश के लिये एक शब्द' की सूची काफी लंबी है, फिर भी नीचे कुछ महत्त्वपूर्ण वाक्य या वाक्यांशों के लिये एक शब्द दिये जा रहे हैं-

'अ' वर्ण से संबंधित	
वाक्यांश	**एक शब्द**
पुरुष-गोद में सोने वाली स्त्री	अंकशायिनी
गोद में स्थित/जो गोद में हो	अंकस्थ
बही-खाता के हिसाब की जाँच करने वाला	अंकेक्षक
अंडे से उत्पन्न (जन्म) होने वाला	अंडज
मूलकथा में प्रसंगवश प्रयुक्त लघुकथा	अंत:कथा
महल में रानियों का निवास-स्थान	अंत:पुर
सबके अंत:करण (मन) की बात जानने वाला	अंतर्यामी
पृथ्वी और आकाश के मध्य का क्षेत्र/स्थान	अंतरिक्ष
जिसे जीता न जा सके	अजेय
गुरु के साथ या समीप रहने वाला विद्यार्थी	अंतेवासी
निम्न वर्ण में जन्म लेने वाला	अंत्यज
बिना विचारे (सोचे-समझे) विश्वास करने वाला	अंधविश्वासी
बिना विचारे (सोचे-समझे) अनुगमन करने वाला	अंधानुगामी
जो कहा (अभिव्यक्त) न गया हो	अकथित
जो कहा (अभिव्यक्त) न जा सके	अकथनीय
जिसको काटा (तर्क से) न जा सके	अकाट्य
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके	अच्युत
जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके	अगोचर
जिसकी सर्वप्रथम गिनती हो	अग्रगण्य
जिसका जन्म पहले हुआ हो	अग्रज (बड़ा भाई)
जो सबसे आगे रहता हो (सबसे आगे रहने वाला)	अग्रणी
जो स्त्री सूर्य भी न देख सके	असूर्यम्पश्या
जो घटित न हुआ हो	अघटित

अध्याय
11

संधि एवं संधि-विच्छेद

संधि शब्द का अर्थ 'मेल' से है। दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) होता है, वह 'संधि' कहलाता है। वहीं संधि के नियमानुसार मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले जाने की क्रिया को संधि-विच्छेद कहते हैं या संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग-अलग करना संधि-विच्छेद कहलाता है।

11.1 संधि

संधि के प्रमुख रूप से तीन भेद किये जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- स्वर संधि
- व्यंजन संधि
- विसर्ग संधि

स्वर संधि

दो स्वरों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) उत्पन्न होता है, वह **स्वर संधि** कहलाता है।

उदाहरणः (i) विद्या + आलय = विद्यालय, (ii) महा + आत्मा = महात्मा

स्वर संधि के पाँच भेद (प्रकार) होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

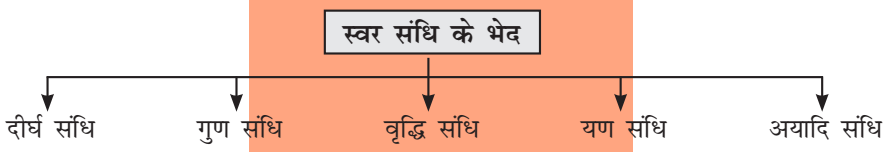

दीर्घ संधि

इस प्रकार की संधि में जिस स्थान पर अ/आ के पश्चात् अ/आ, उ/ऊ के पश्चात् उ/ऊ एवं इ/ई के पश्चात् इ/ई आए तो ये दोनों शब्द मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, **जैसे**-

अ + अ = आ	**अ + आ = आ**
● गीत + अंजलि = गीतांजलि	● आम + आशय = आमाशय
● स्व + अर्थी = स्वार्थी	● आर्य + आवर्त्त = आर्यावर्त्त
● मत + अनुसार = मतानुसार	● गर्भ + आशय = गर्भाशय
● परम + अर्थ = परमार्थ	● भ्रष्ट + आचार = भ्रष्टाचार
● प्र + अंगन = प्रांगण	● हास्य + आस्पद = हास्यास्पद
● धर्म + अर्थ = धर्मार्थ	● भोजन + आलय = भोजनालय
आ + अ = आ	**आ + आ = आ**
● निशा + अंत = निशांत	● महा + आशय = महाशय
● सत्ता + अंतरण = सत्तांतरण	● वार्ता + आलाप = वार्तालाप
● परीक्षा + अर्थी = परीक्षार्थी	● प्रेरणा + आस्पद = प्रेरणास्पद
● रचना + अवली = रचनावली	● महा + आत्मा = महात्मा
● दिशा + अंतर = दिशांतर	● प्रेक्षा + आगार = प्रेक्षागार
● सुधा + अंशु = सुधांशु	

अध्याय
12

सामासिक पद-रचना (समास) एवं समास-विग्रह

सामासिक पद-रचना के लिये समास की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि सामासिक पद या समस्त पद की रचना समास के नियमों के अनुसार होती है। ऐसे शब्द या पद जो समास के नियमों के अनुसार निर्मित होते हैं, वे सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। वहीं, सामासिक पदों (शब्दों) के बीच संबंध स्पष्ट करने या सामासिक पद के सभी पदों को अलग-अलग किये जाने की प्रक्रिया को समास-विग्रह कहते हैं।

12.1 सामासिक पद-रचना (समास)

सामासिक पद-रचना को समझने के लिये समास एवं उसके प्रकारों को समझना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं-

समास

समास का सरल अर्थ 'संक्षिप्तीकरण' है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया एवं सार्थक शब्द बनता है तो उस नवीन एवं सार्थक शब्द को **समास** कहा जाता है।

जैसे: 'रसोई के लिये घर' को हम संक्षिप्त रूप में 'रसोईघर' भी कह सकते हैं।

समास का प्रयोग 'संस्कृत' तथा अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत अधिक होता है। समास के प्रमुख छः (6) प्रकार या भेद निम्नलिखित हैं-

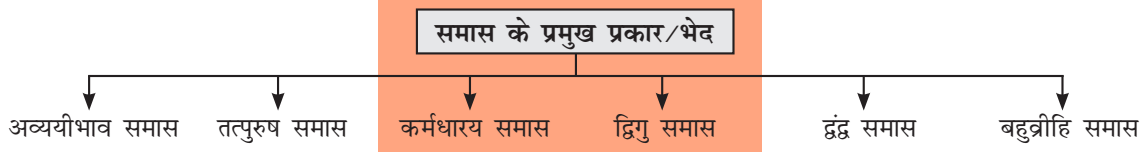

अव्ययीभाव समास

जिस समास का प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है, वह **अव्ययीभाव समास** कहलाता है।

जैसे- (i) प्रतिदिन (प्रत्येक दिन)

(ii) यथामति (मति के अनुसार)

(iii) भरपेट (पेट भर के)

(iv) यथारुचि (रुचि के अनुसार)

(v) आजन्म (जन्म से लेकर)

उपर्युक्त उदाहरणों में 'प्रति', 'यथा', 'भर' ये सभी अव्यय हैं।

नोट: जहाँ एक ही शब्द की बार-बार आवृत्ति हो, वह भी अव्ययीभाव समास कहलाता है।
जैसे- दिनोंदिन, रातों-रात, घर-घर, हाथों-हाथ आदि।

अव्ययीभाव समास से संबंधित कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण उदाहरण

सामासिक पद/समस्त-पद	विग्रह	सामासिक पद/समस्त-पद	विग्रह
आजीवन	जीवन भर	यथाक्रम	क्रम के अनुसार
प्रतिवर्ष	हर वर्ष	बेशक	शक के बिना
निडर	डर के बिना	निस्संदेह	संदेह के बिना

अध्याय
13

हिन्दी शब्द-भंडार
(तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द)

विश्व की समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिन्दी भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विश्व भाषा के रूप में मान्य अंग्रेज़ी भाषा सहित विश्व की अन्य प्रमुख भाषाओं– फ्रेंच, यूनानी, स्पेनिश, रशियन, जर्मन, चीनी, जापानी इत्यादि ने अपने-अपने मूल शब्दों के अलावा अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों का रूप-परिवर्तन कर अपनी-अपनी भाषा के शब्द-भंडार को वृहद् एवं विस्तृत किया है। इस संदर्भ में हिन्दी भाषा भी कोई अपवाद नहीं है। इसमें भी अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों को या तो यथावत् या फिर उनमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके शब्द-भंडार को समृद्ध किया गया है।

- संस्कृत हिन्दी भाषा की जननी है। इसका शब्द-भंडार संस्कृत के मूल शब्द (तत्सम) और उसके परिवर्तित रूप (तद्भव) के शब्दों से भरा हुआ है।
- उत्पत्ति के आधार पर शब्द-भंडार (शब्द-भेद) के अंतर्गत शब्द के पाँच प्रकारों को सम्मिलित किया गया है–

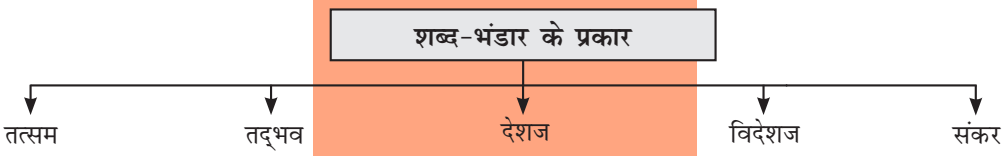

तत्सम

तत्सम = तत् + सम = उसके समान, यहाँ 'उसके' से आशय 'संस्कृत' से है। इस प्रकार तत्सम शब्द संस्कृत शब्द या उनके समान शब्द हैं और हिन्दी में इनका प्रयोग संस्कृत के समान ही होता है। ऐसे तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं– **अग्नि, अंक, स्कंध, अश्रु, आम्र, अष्ट** इत्यादि। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो जो शब्द संस्कृत से उनके मूल रूप में लिये गए हैं और हिन्दी में इसी मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द हैं।

तद्भव

तद्भव = तत् + भव = उससे उत्पन्न; यहाँ 'उससे' का आशय संस्कृत से है। इस प्रकार ऐसे शब्द जो प्राकृत और संस्कृत से विकृत होकर हिन्दी में आए हैं, 'तद्भव' कहे जाते हैं, यथा–**अच्छर, कड़ुआ, काठ, घिन, चाम, जोगी** इत्यादि।

देशज

देशज शब्द से आशय देश में बोली जाने वाली बोलियों के उन शब्दों से है, जो हिन्दी भाषा के विकास के काल-क्रम में उसके गर्भगृह (शब्द-भंडार) में समाहित हो गए। वस्तुतः ये वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। प्रचलन में ये शब्द प्रचुरता से प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण हैं– **अक्खड़, अंट-शंट, ऊटपटाँग, किलबिलाना, गुदड़ी, झक्की, हेकड़ी, अचकचाना, अल्लम-गल्लम, ओझल, अचानक, अटपटा, इठलाना, ओढ़र, अलबेला, उमंग, कनकना, कचारना, कटकना, कदली, किचर-पिचर, कनटक, कौंधना, काच, कचोटना, कीनर-मीनर, कराहना, खूसट, खोखला, खर्रा, खद्दर, खुरदरा, खटना, खूँटी, खर्राटा, खटपट, खचाखच, गिड़गिड़ाना, गल्प, गुद्दा, गली, गिरगिट, गरेरी, गेंदा, गुपचुप, गोंद, घेंघा, घमंड, घोंसला, घुमड़ना** इत्यादि।

विदेशज

विदेशी भाषाओं से हिन्दी भाषा में आए शब्दों को 'विदेशज शब्द' कहा जाता है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इन विदेशी भाषाओं का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है, मसलन- यूरोपीय देशों की भाषाएँ– अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि और अरब देशों की भाषाएँ– अरबी, फारसी, तुर्की आदि।

अध्याय
14

विशेषण और विशेष्य

किसी भी संज्ञा के अनेक गुण होते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिये विशेषण-पदों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के गुण संज्ञा के रूप, आकार, संख्या तथा गुण-स्थिति के रूप में होते हैं।

14.1 विशेषण

संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता या गुण को अभिव्यक्त करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है-

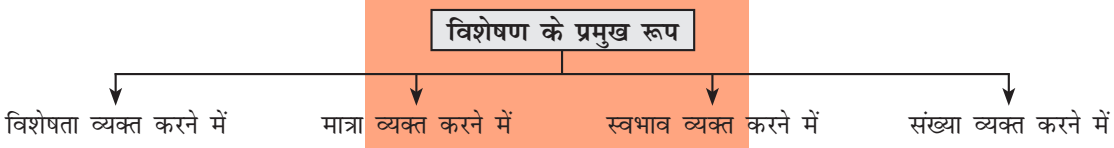

1. विशेषता व्यक्त करने में

विशेषण शब्द द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता का बोध कराया जाता है, जैसे–सीता **सुंदर** है। इस वाक्य में 'सुंदर' शब्द सीता की विशेषता को व्यक्त कर रहा है, अत: 'सुंदर' विशेषण है।

2. मात्रा व्यक्त करने में

प्रतिनिधि विशेषण शब्द के द्वारा मात्रा का बोध कराया जाता है, जैसे–**दस** किलो चावल। यहाँ 'दस' विशेषण शब्द चावल की मात्रा का बोध कराता है।

3. स्वभाव व्यक्त करने में

प्रतिनिधि विशेषण शब्द के द्वारा संज्ञा के स्वभाव का भी बोध कराया जाता है, जैसे–राम **शांत** व्यक्ति है। इस वाक्य में 'शांत' शब्द राम के स्वभाव को व्यक्त कर रहा है, अत: 'शांत' शब्द विशेषण है।

4. संख्या व्यक्त करने में

प्रतिनिधि विशेषण शब्द के माध्यम से संख्या का बोध कराया जाता है, जैसे–कक्षा में **चालीस** छात्र हैं। इस वाक्य में 'चालीस' शब्द छात्रों की संख्या का बोध करा रहा है, अत: 'चालीस' शब्द विशेषण है।

विशेषण के भेद

विशेषण के प्रमुख रूप से चार भेद (प्रकार) होते हैं, जो निम्नलिखित हैं–

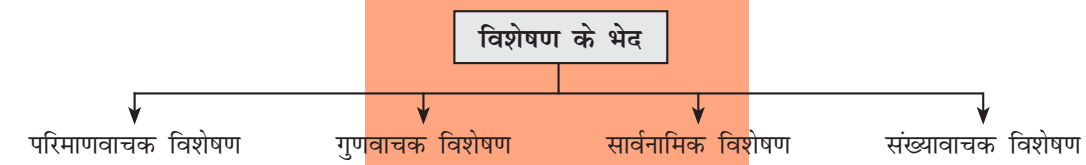

1. परिमाणवाचक विशेषण

संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।

उदाहरण–

(i) मेरी गाय **बहुत** दूध देती है।

(ii) राम को **थोड़ी** कॉफी दो।

अध्याय
15

वर्तनी (शब्द-शुद्धि)

कभी आंचलिक प्रभाव के कारण तो कभी लिंग-वचन की अल्पज्ञता के कारण हम शब्दों को लिखने में अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। ऐसी अशुद्धियों में वर्ण संबंधी अशुद्धियों को भी नहीं नकारा जा सकता। अक्षर-लेख, संधि, समास, विसर्ग आदि संबंधी अशुद्धियाँ न हों, यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है। नीचे इन सभी प्रकार की अशुद्धियों को प्रस्तुत किया गया है-

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए अशुद्ध-शुद्ध शब्द

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुग्रहीत, अनुग्रहित	अनुगृहीत	भुजंगनी	भुजंगिनी	स्वस्थ्य	स्वस्थ
आव्हान	आह्वान	बाल्मीक, बाल्मीकि	वाल्मीकि	सन्यासी	संन्यासी
उज्वल, उज्जवल	उज्ज्वल	प्रातकाल	प्रातःकाल	सदृश्य	सदृश
गत्यावरोध	गत्यवरोध	प्रदर्शिनी	प्रदर्शनी	पुरुस्कार	पुरस्कार
चिन्ह	चिह्न	प्रज्ज्वलित	प्रज्वलित	पड़ोसन	पड़ोसिन
त्यौहार, त्योंहार	त्योहार	प्रफुल्लित	प्रफुल्ल	निरिक्षण	निरीक्षण
दुरावस्था	दुरवस्था	पुज्य, पूज्यनीय	पूज्य, पूजनीय	धनाड्य	धनाढ्य
निरोग	नीरोग	पक्षीगण	पक्षिगण	दिवारात्रि	दिवारात्र
प्रतिनिधी	प्रतिनिधि	व्यवहारिक	व्यावहारिक	दरिद्री	दरिद्र
मिष्ठान, मिस्ठान	मिष्टान्न	वापिस	वापस	फिसदी	फीसदी
मोलिक	मौलिक	वीभीषण, बिभीषण	विभीषण	तदोपरांत	तदुपरांत
सदोपदेश	सदुपदेश	श्रृंगार, श्रंगार	शृंगार	चांद	चाँद
विशिष्ठ, विशीष्ट	विशिष्ट	संग्रहित, संग्रहीत	संगृहीत	कृत्यकृत्य	कृतकृत्य
वधु	वधू	सप्ताहिक	साप्ताहिक	कवियत्री, कवित्री	कवयित्री
लघुत्तर	लघूत्तर	समाजिक	सामाजिक	ओद्योगिक	औद्योगिक
रविंद्र	रवींद्र	साहित्यक	साहित्यिक	अर्शिवाद, आशिरवाद	आशीर्वाद
रचयता, रचियता	रचयिता	सृष्टा	स्रष्टा	आधीन	अधीन
मध्यांत, मध्यान्ह	मध्याह्न	सुश्रुषा	सुश्रूषा	गुरू	गुरु
परिभासिक	पारिभाषिक	महंगा	महँगा	महत्व	महत्त्व
साक्षात	साक्षात्	दृष्टा	द्रष्टा	ललायित	लालायित
अहार	आहार	निरापराध	निरपराध	भाष्कर	भास्कर
पुष्पांजली	पुष्पांजलि	मिथलेशकुमारी	मिथिलेशकुमारी	वांगमय	वाङ्मय
वैमनस्यता	वैमनस्य	उत्कर्श	उत्कर्ष	प्रोढ़	प्रौढ़
पोरुषत्व	पौरुष	नोकरी	नौकरी	उनन्यन, उन्यन	उन्नयन
अविष्कार	आविष्कार	देवार्षि	देवर्षि	निशब्द	निःशब्द
जमाता	जामाता	आननास	अनन्नास	खिवैया	खेवैया
न्यौछावर	न्योछावर	निर्पेक्ष	निरपेक्ष	पर्यावसान	पर्यवसान
षट्दर्शन	षड्दर्शन	अनापेक्षित	अनपेक्षित	किलिष्ट	क्लिष्ट

अध्याय
16

वाक्य-शुद्धि

शुद्ध एवं त्रुटिहीन अभिव्यक्ति हेतु भाषागत वाक्य-रचना संबंधी विशेष विधान होते हैं और इन्हीं के आधार पर भाषायी शुद्धता की स्थापना होती है। हिन्दी भाषा में भी शुद्ध, स्पष्ट, सुंदर एवं पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हेतु वाक्य-रचना के अन्यान्य विधान हैं, जिनका क्रमिक, व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन यहाँ प्रस्तुत है।

16.1 वाक्य-रचना के नियम

भाषा के माध्यम से जो विचार या भाव की अभिव्यक्ति होती है, वह कमोबेश पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। वाक्य सार्थक शब्द-समूह का योग होता है और ये शब्द-समूह कुछ विशेष विधान के अनुरूप वाक्य में स्थानगत होते हैं, तदुपरांत ही विचार/भाव की सार्थक एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति संभव हो पाती है। इस दृष्टिकोण से शुद्ध, संपूर्ण एवं सार्थक वाक्य-रचना हेतु निम्न विधान का ज्ञान होना अति आवश्यक है–

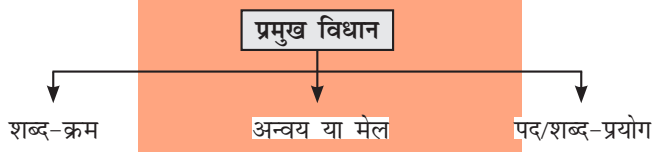

शब्द-क्रम

'शब्द-क्रम' का अर्थ है– शब्दों का क्रम। शब्दों के इस क्रम से आशय वाक्य में इनकी वाक्य-रचना के विधानानुसार प्रयुक्तता से है। सार्थक वाक्य तभी बनता है, जब उसमें प्रयुक्त शब्द-समूह एक विशेष नियम के अनुसार स्थानगत होता है। अतः शुद्ध एवं सुंदर लेखन एवं वाचन (वार्ता) हेतु शब्द-क्रम संबंधी विधान (नियमों) का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यहाँ इन नियमों का क्रमिक विवरण निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है–

- **वाक्य-रचना में सर्वप्रथम (प्रारंभ में) कर्त्ता, तत्पश्चात् कर्म एवं अंत में क्रिया की प्रयुक्तता होनी चाहिये।**

  उदाहरण: मैं किताब पढ़ता हूँ। राम ने भोजन किया। श्याम स्कूल गया।

  इन वाक्यों में 'मैं', 'राम' और 'श्याम' कर्त्ता होने के कारण वाक्य के प्रारंभ में, जबकि 'किताब', 'भोजन' और 'स्कूल' कर्म होने के कारण वाक्य के मध्य में और 'पढ़ता हूँ', 'किया' और 'गया' क्रमशः क्रिया होने के कारण वाक्य के अंत में आए हैं।

- **कर्त्ता के विस्तार (उद्देश्य) को कर्त्ता के पूर्व तथा क्रिया के विस्तार (विधेय) को क्रिया के पूर्व वाक्य में प्रयुक्त करें।**

  उदाहरण: नम्र व्यक्ति **नम्रतापूर्वक** बात करते हैं। **अच्छे** विद्यार्थी **धीरे-धीरे** लिखते हैं।

  इन वाक्यों में 'नम्र' एवं 'अच्छे' जो कर्त्ता-विस्तार हैं, क्रमशः कर्त्ताद्वय 'व्यक्ति' एवं 'विद्यार्थी' के पूर्व आए हैं, जबकि 'नम्रतापूर्वक' एवं 'धीरे-धीरे' क्रिया-विस्तार होने के कारण क्रमशः क्रियाद्वय 'बात' और 'लिखते' से पहले आए हैं।

- **वाक्य में कारक की अहम भूमिका के कारण अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक को क्रमागत (क्रमिक) रूप से कर्त्ता तथा कर्म के मध्य प्रयुक्तता होनी चाहिये।**

  उदाहरण: राम ने गाड़ी **में** (अधिकरण) रखी थैली **से** (अपादान) बच्चों **के लिये** (संप्रदान) अपने हाथ **से** (करण) टॉफियाँ निकालीं।

अध्याय
17

उपसर्ग एवं प्रत्यय

हिन्दी में शब्द-निर्माण एवं अर्थ को विशिष्टता प्रदान करने में उपसर्ग की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उपसर्ग प्रायः एक या दो अक्षरों के होते हैं। इन्हें शब्दांश या अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द के आगे (प्रारंभ में) लगकर मूल शब्द से भिन्न एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और इस नए शब्द का अर्थ मूल शब्द के अर्थ से भिन्न होता है। इस प्रकार उपसर्ग ऐसे शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हिन्दी शब्द-निर्माण के महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक सशक्त साधन प्रत्यय है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर न केवल अर्थ-क्षेत्र को व्यापक बनाता है, वरन् शब्द-भंडार को भी समृद्ध करता है।

17.1 उपसर्ग

उपसर्ग में दो शब्द हैं– उप + सर्ग। 'उप' का अर्थ समीप, पास या निकट होता है, जबकि 'सर्ग' से आशय सृष्टि करने से है। इस प्रकार उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है– पास या निकट बैठकर नव अर्थयुक्त शब्द-निर्माण या फिर अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करना।

उपसर्ग से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- उपसर्ग की प्रयुक्तता से अर्थ में नई विशेषता आती है, जैसे– मूल्य-अमूल्य-बहुमूल्य।
- उपसर्ग के प्रयोग से शब्दार्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, केवल गति या अधिकता का बोध होता है।
- उपसर्ग लगाने से नवनिर्मित शब्द प्रायः मूल शब्द का विलोम बन जाता है, जैसे– शुभ-अशुभ, न्याय-अन्याय, डर-निडर।

उपसर्ग के प्रकार

चूँकि हिन्दी का जन्म या विकास संस्कृत से हुआ है, अतः इसके प्रमुख उपसर्ग संस्कृत के ही हैं। हालाँकि विकास के काल-क्रम में हिन्दी ने अपने उपसर्ग भी विकसित किये हैं। फिर मुगल साम्राज्य और अंग्रेज़ी शासनकाल की सदियों की अवधि में इनकी भाषाओं अरबी-फारसी तथा अंग्रेज़ी ने हिन्दी पर ज़बरदस्त प्रभाव डाला और परिणाम के रूप में इन भाषाओं के प्रचलित प्रमुख उपसर्गों को हिन्दी ने यथावत् अथवा कुछ रूप-परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, वर्तमान में हिन्दी में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं–

1. संस्कृत के उपसर्ग
2. हिन्दी के उपसर्ग
3. उर्दू के उपसर्ग

1. संस्कृत के उपसर्ग

हिन्दी ने संस्कृत के जिन प्रमुख उपसर्गों को ग्रहण किया है, उनके नाम, अर्थ एवं उनसे निर्मित स्वीकार सरल बोध हेतु सारणी के रूप में शब्द प्रस्तुत हैं–

उपसर्ग	अर्थ	उपसर्ग से निर्मित शब्द
अति	अधिक, ऊपर, उस पार	अतिकाल, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अतिव्यापी, अत्यंत, अत्युक्ति, अत्याचार, अतिक्लांत, अत्युत्तम इत्यादि।
अधि	श्रेष्ठ, ऊपर, निकटता	अधिकरण, अधिकार, अधिकोष, अधिपति, अधिपाठक, अधिराज, अधिवासी, अधिष्ठाता, अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यात्म इत्यादि।
अनु	क्रम, पीछे, पश्चात्, समान	अनुकरण, अनुकूल, अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुपात, अनुरूप, अनुरक्षण, अनुशासन, अनुशीलन, अनुस्वार, अनुकृति, अनुगमन इत्यादि।
अप	हीन, बुरा, विरुद्ध, लघुता	अपकार, अपकर्ष, अपकीर्ति, अपप्रयोग, अपभ्रंश, अपमान, अपयश, अपराध, अपवाद, अपव्यय, अपशब्द, अपहरण, अपेक्षित इत्यादि।

अध्याय
18

मुहावरे और लोकोक्तियाँ (कहावतें)

हिन्दी के 'मुहावरा' शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के 'मुहावर:' शब्द से हुई है। 'मुहावर:' शब्द का अर्थ होता है- अभ्यास करना। इस प्रकार, हिन्दी में 'मुहावरा' का अर्थ बातचीत, बोलचाल या अभ्यास है, जो भाषायी अभिव्यक्ति में विलक्षण और लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार **कहावत** का शाब्दिक अर्थ होता है- **कही हुई बात।** इस अर्थ में वही बातें कहावत होती हैं, जिनमें जीवन के अनुभव या ज्ञान की बातें संक्षिप्त लेकिन विलक्षण ढंग से कही गई हों तथा लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ- लोक (जनसामान्य) की उक्ति (कथन) है।

18.1 मुहावरे

मुहावरा ऐसे पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं, जिसका अर्थ सामान्य या शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। अपने इस विशेष गुण के कारण यह सदियों से बोलचाल एवं लेखन में प्रयोग होता आ रहा है।

उदाहरण-

'मच्छर मारना' और 'चांदी का जूता मारना' के शाब्दिक अर्थ क्रमश: न तो मच्छर को मारना है और न ही जूते से मारना। वस्तुत: इन दोनों मुहावरों के अर्थ क्रमश: 'खाली बैठकर समय काटना' और 'धन का लोभ देना' है। यही कारण है कि वर्तमान समय में सामान्य या गुणवत्तापूर्ण वार्ता और लेखन में मुहावरे का प्रयोग अधिकाधिक होता है।

हिन्दी के विद्वानों के अनुसार-

"जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय: क्रिया का काम देता है, उसे वाग्धारा या मुहावरा कहते हैं।" **(श्याम चंद्र कपूर)**

"ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है।" **(डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद)**

"मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थ के लिये किया जाता है।" **(डॉ. भोलानाथ तिवारी)**

मुहावरों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ एवं निवारण

मुहावरे के प्रारंभिक विवरण में हमने देखा कि मुहावरा सामान्यजन की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। यही सामान्यजन मुहावरों के जन्म के स्रोत हैं, मगर वर्तमान समय में सामान्यजन के अलावा उच्च शिक्षित एवं विद्वान वर्ग भी भाषायी गुणवत्ता एवं प्रासंगिक चमत्कारिता के लिये इसका अधिकाधिक प्रयोग करने लगे हैं। इस प्रकार, मुहावरों के व्यापक प्रचलन से उनके प्रयोग में अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। अशुद्ध मुहावरे के प्रयोग से मुहावरा अर्थहीन हो जाता है, वक्ता या लेखक के कथन ऐसे मुहावरों की प्रयुक्तता के बावजूद प्रभावहीन रह जाते हैं। अत: यहाँ मुहावरों के शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग प्रस्तुत हैं-

मुहावरे के शब्दों का स्थान-परिवर्तन

मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के क्रम-परिवर्तन कर देने से मुहावरे अशुद्ध एवं अर्थहीन हो जाते हैं और कथन इसकी प्रयुक्तता के बाद भी इसके प्रभाव एवं औचित्य से अछूता रह जाता है। निम्नांकित उदाहरणों पर ध्यान दें-

अध्याय
19

हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल-विभाजन एवं नामकरण

हिन्दी साहित्य के संबंध में विवाद मूलत: यह है कि हिन्दी भाषा का आरंभ कब से माना जाए। इसका कारण यह है कि हिन्दी साहित्य की धारा तो वैदिक संस्कृति के समय से अविच्छिन्न रूप से वर्तमान काल तक प्रवाहित होती रही है, इसीलिये हिन्दी साहित्य के आरंभ का प्रश्न वस्तुत: उस बिंदु की पहचान से जुड़ा है, जहाँ से हम साहित्यिक भाषा के तौर पर हिन्दी की शुरुआत मान लें।

हिन्दी साहित्य के इतिहास के आरंभ के संबंध में इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कुछ विद्वान हिन्दी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं, क्योंकि 7वीं शताब्दी में पूर्ववर्ती अपभ्रंश के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे विद्वानों में जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, पंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉ. नगेंद्र तथा डॉ. रामकुमार वर्मा शामिल हैं। इनमें से शिवसिंह सेंगर 'पुष्पदंत' को पहला कवि मानते हैं, डॉ. रामकुमार वर्मा 'स्वयंभू' को मानते हैं जबकि पंडित राहुल सांकृत्यायन और डॉ. नगेंद्र सिद्ध कवि 'सरहपा' को पहला कवि मानते हैं।

कुछ विद्वानों की मान्यता है कि हिन्दी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से हुआ। आचार्य द्विवेदी व आचार्य शुक्ल दोनों इस विचार के समर्थकों में शामिल हैं। द्विवेदी जी की दृष्टि में इसका कारण भाषिक है, जबकि आचार्य शुक्ल मानते हैं कि भाषिक स्तर पर यद्यपि पुरानी हिन्दी का जन्म 7वीं सदी के आसपास हो गया था, किंतु काफी समय तक सांप्रदायिक रचनाएँ होती रहीं, जिन्हें साहित्य नहीं माना जा सकता। इसीलिये वास्तविक साहित्य संवत् 1050 या 993 ई. के आसपास से आरंभ हुआ।

कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि हिन्दी साहित्य का आरंभ 12वीं शताब्दी से हुआ। ऐसा मानने का कारण यह है कि 12वीं सदी के आसपास अपभ्रंश व अवहट्ट से गुज़रते हुए हिन्दी भाषा पुरानी हिन्दी के दौर में प्रवेश कर चुकी थी। ऐसा मानने वालों में डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त तथा डॉ. हरिश्चंद्र वर्मा शामिल हैं। डॉ. गुप्त के अनुसार 1184 ई. में शालिभद्र सूरि द्वारा लिखित 'भरतेश्वर बाहुबली रास' हिन्दी की पहली रचना है, जबकि डॉ. वर्मा के अनुसार 1168 ई. में शालिभद्र सूरि के गुरु वज्रसेन सूरि द्वारा लिखित 'भरतेश्वर बाहुबली धीर रास' नामक रचना हिन्दी की पहली रचना है।

कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि हिन्दी साहित्य का आरंभ भाषा-वैज्ञानिक आधार पर 14वीं सदी से माना जाना चाहिये, क्योंकि इस समय तक भाषिक संक्रमण का दौर पूर्णत: समाप्त हो चुका था, और हिन्दी अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी। इन विद्वानों में डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, डॉ. उदयनारायण तिवारी तथा डॉ. नामवर सिंह शामिल हैं।

निष्कर्ष: कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति यह है कि हिन्दी साहित्य का उद्भव 10वीं शताब्दी के आसपास से माना जाता है। इसका कारण यह है कि 10 वीं शताब्दी का आरंभ वह समय है जब भाषिक संक्रमण एक निश्चित स्थिति तक पहुँच चुका था और आधुनिक हिन्दी के प्रारंभिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। इसके बावजूद, अपवाद के रूप में इससे पहले के कुछ कवि भी हिन्दी साहित्य में शामिल किये जाते हैं।

औपचारिक इतिहास-लेखन

गार्सा द तासी

औपचारिक इतिहास लेखन 1839 ई. में शुरू हुआ जब फ्रेंच विद्वान **गार्सा द तासी** ने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक 'इस्तवार द ला लितरेत्युर ऐंदुइ ऐंदुस्तानी' लिखी। इसमें कवियों, उनके कालों तथा रचनाओं का व्यवस्थित वर्णन किया गया था किंतु इनकी प्रस्तुति कालक्रम के अनुसार नहीं, वर्णक्रम के अनुसार की गई। इसलिये यह इतिहास कम, तथ्यों का कोश अधिक है।

अध्याय
20

छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ

छत्तीसगढ़ (राज्य सेवा) परीक्षा के लिये निर्धारित किये गए नवीन पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विगत वर्षों में आयोजित की गई मुख्य परीक्षा के सामान्य हिन्दी वाले भाग से संबंधित 'छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ' नामक अध्याय के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को प्रस्तुत किया है।

- सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी में प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा पं. सुंदरलाल शर्मा ने विकसित की।
- छत्तीसगढ़ी में गद्य लेखन पं. लोचन प्रसाद पांडेय के द्वारा शुभारंभ किया गया।
- प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सन् 1880 में काव्योपाध्याय हीरालाल ने सृजन किया था।
- रतनपुर के गोपाल मिश्र को हिन्दी काव्य परंपरा के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का वाल्मीकी माना जाता है।

इससे संबंधित अन्य परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ/कृतियाँ निम्नलिखित हैं-

छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ/कृतियाँ

साहित्यकार	रचनाएँ/कृतियाँ
पं. सीताराम मिश्र	सुरही गइया (प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी)
अब्दुल लतीक घोंघी	संकटकाल, तिकोने चेहरे, तीसरे बंदर की कथा, उड़ते उल्लू की डायरी
पुरुषोत्तम अनासक्त	श्रीमती जी की पिचकारी, भोंदू पुराण, सतह से ऊपर
हरि ठाकुर	लोहे का नगर, नए स्वर
श्री विनोद कुमार शुक्ल	**कविता संग्रहः** वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहिनकर विचार की तरह, लगभग जय हिंद **उपन्यासः** यासि रासा त, नौकर की कमीज़, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, दीवाल में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे
गुलशेर अहमद खाँ शानी	कालाजल, एक शहर में सपने बिकते हैं, एक लड़की की डायरी, सब एक जगह, फूल तोड़ना मना है, साँप और सीढ़ियाँ
रेवाराम बाबू	रतनपुर का इतिहास, रामायण दीपिका, माता के भजन, रत्न परीक्षा, गीता माधव (महाकाव्य), गंगा लहरी, विक्रम विलास, रामाश्वमेध (राम अश्वमेध)
पं. अनंत प्रसाद पांडेय	श्रीमद्भगवद् गीता (छत्तीसगढ़ी काव्य में अनुवाद), रायगढ़ राज्य का भूगोल, छत्तीसगढ़ी शब्द-संग्रह, गजरा (काव्य), डहर के काँटा (कहानी), नावा विहान (छत्तीसगढ़ी नाटक), सीता की अग्नि-परीक्षा (खंडकाव्य), डहर के फूल, रायगढ़ का इतिहास
अरुण निगम	चैत की चँदनिया (हिन्दी छंद काव्य), छंद के छ (छत्तीसगढ़ी छंदकाव्य), शब्द गठरिया बांध (हिन्दी छंदकाव्य)
कपिलनाथ कश्यप	अब तो जागौ रे, श्रीराम कथा (महाकाव्य), श्रीकृष्ण कथा (महाकाव्य), अँधियारी रात (छत्तीसगढ़ी नाटक), श्री महाभारत (महाकाव्य)
कुंजबिहारी चौबे	गांधी गौरा, बियासी गीत
वंशीधर पांडेय	हीरू के कहिनी (प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास) विश्व का फल (हिन्दी नाटक)
माधवराव सप्रे	टोकरी भर मिट्टी (हिन्दी में कहानी)

अध्याय
21

अनुवाद (गद्यावतरण)

अनुवाद (गद्यावतरण) के अंतर्गत उन महत्त्वपूर्ण परीक्षोपयोगी गद्यांशों को सम्मिलित किया गया है जिनसे छत्तीसगढ़ (राज्य सेवा) परीक्षा में पूछे जाने योग्य गद्यावतरण संबंधी प्रश्नों को हल करने में सुविधा हो, जैसे- हिन्दी में लिखे गद्यांशों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करना तथा अंग्रेज़ी में लिखे गद्यांशों का हिन्दी में अनुवाद करना आदि।

21.1 हिन्दी से अंग्रेज़ी

इसके अंतर्गत उन महत्त्वपूर्ण हिन्दी गद्यांशों को सम्मिलित किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण एवं संभावित हैं, साथ ही उन हिन्दी गद्यांशों का अंग्रेज़ी में अनुवाद भी साथ में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जिससे अभ्यर्थियों को हिन्दी गद्यांशों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करने में समस्या न हो।

- एक आदर्श शिक्षक को एक मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होना चाहिये। उसका बौद्धिक अहंभाव उसे विद्यार्थियों की राय को पूर्ण रूप से हतोत्साहित या अस्वीकृत नहीं करने देता है, बल्कि विद्यार्थियों के प्रति उसका स्नेही व्यवहार उसे कक्षा में परस्पर संवादात्मक (interactive) होने को प्रोत्साहित करता है। वह अपने छात्रों से प्रश्न करता है तथा उन्हें अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये उत्साहित करता है। प्रश्नों से महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति होती है। वह विद्यार्थियों को सोचने के लिये प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार वह एक प्रभावशाली तरीके के रूप में उनके मस्तिष्कों को जीवंत रखता है। परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों का दृष्टिकोण भी शिक्षक में नए विचारों को प्रोत्साहित कर सकता है तथा उसे एक नई अंतर्दृष्टि दे सकता है। सिखाने के लिये सीखना होता है। अतः एक आदर्श अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया एकतरफा संप्रेषण नहीं है। इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों का कल्याण निहित है।

  अंग्रेज़ी में अनुवादः An ideal teacher is supposed to be a friend, philosopher and guide. His intellectual egotism does not lead him to reject or discourage student's opinions altogether. Rather, his loving attitude towards students motivates him to be interactive in the classroom. He questions his students and encourages them to express their opinions. Questions serve an important purpose. They stimulate student's minds to think, and thus serve as student's minds an effective way of animating their minds. In turn, the viewpoints of the students can stimulate new lines of thought in the teacher and offer him new insights. To teach is to learn. Hence, the ideal teaching–learning process is not a one–way traffic. It is intended for the welfare of both teacher and student.

- वर्तमान समय में हमारे समक्ष मोहनदास करमचंद गांधी का उदाहरण है, जिन्हें दुनिया महात्मा के नाम से संबोधित करती है। विश्व शांति एवं अहिंसा के संबंध में उनके विचार विश्व शांति में भारत के योगदान के साक्षी हैं। उनके संदेश अनेक देशों और लोगों के लिये महान प्रेरणास्रोत रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे विश्व के नेताओं ने अपने मूल निवासियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये उनके सिद्धांतों का पालन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सविनय अवज्ञा की। उनकी अद्वितीय अवधारणाएँ इतनी आकर्षक थीं कि अंग्रेज़ों ने भी इनकी सराहना की।

  अंग्रेज़ी में अनुवादः In modern times, we have Mohandas Karamchand Gandhi, whom the world praises by the name of Mahatma. His ideas of peace and non–violence are the testimonials of India's contribution to World Peace. His messages were sources of great inspiration for many nations and people throughout. World Leaders like Martin Luther King and Nelson Mandela carried out his principles for securing freedom for their natives. And in India's struggle of Independence, his unique concept of non–violence and civil disobedience were that great and appealing that it brought appreciation even from the mouth of the British.

अध्याय
22

अपठित गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षिप्त लेखन

इस अध्याय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ (राज्य सेवा) परीक्षा के लिये निर्धारित किये गए नवीन पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विगत वर्षों में आयोजित की गई मुख्य परीक्षा के सामान्य हिन्दी वाले भाग में गद्यांश से संबंधित शीर्षक एवं संक्षिप्त लेखन को चरणबद्ध रूप से हल करने का तरीका बताया गया है।

22.1 शीर्षक लेखन

यह मूल पाठ के केंद्रीय भाव से संबंधित होता है। यह मूल पाठ का अत्यंत महत्त्वपूर्ण शब्द या एक से अधिक शब्दों का समूह होता है। मूल पाठ के शीर्षक को परखने या अनुमान लगाने हेतु सबसे उपयुक्त तरीका यह होता है कि यदि हम दिये गए मूल पाठ को पढ़कर लगभग उसी प्रकार का अवतरण लिखने में सफल होते हैं तो समझो वही उपयुक्त शीर्षक है। इसी प्रकार यदि पाठ में शीर्षक से संबंधित एक से अधिक विकल्पों का अभाव हो तब आकलन कीजिये कि उनमें से कोई एक ऐसा होगा, जो सबसे बेहतर होगा तब यह समझो वही उचित शीर्षक है।

22.2 संक्षिप्त लेखन

किसी विस्तृत विवरण, वक्तव्य, व्याख्या, भाषण, पत्र, लेख आदि के सारगर्भित एवं संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण को संक्षिप्त लेखन या संक्षेपण कहते हैं। डॉ. वासुदेवनंदन प्रसाद के अनुसार, ''किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र-व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को 'संक्षिप्त लेखन' या संक्षेपण कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त तथा अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो।'' संक्षिप्त लेखन में मूल संदर्भ के विचारों को इस प्रकार संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है कि उसमें मूल अवतरण के सभी विचार आ जाएँ। संक्षिप्त लेखन को पढ़ लेने के बाद मूल अवतरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। संक्षिप्त लेखन में अनावश्यक शब्दों को हटा दिया जाता है। इसमें कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक विचारों, भावों तथा तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि संक्षिप्त लेखन किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है।

संक्षिप्त लेखन की विशेषताएँ

- **पूर्णताः** संक्षिप्त लेखन अपने आपमें पूर्ण होना चाहिये। इसके मूल संदर्भ में सभी विचार आने चाहियें तथा मूल के अनुरूप ही विचारों की गंभीरता भी बनी रहनी चाहिये। संक्षिप्त लेखन पढ़ने पर मूल अवतरण के सभी विचार एवं भाव स्पष्ट हो जाने चाहियें।
- **संक्षिप्तताः** संक्षिप्त लेखन के मूल में उसकी संक्षिप्तता का गुण है। अनावश्यक शब्दों को छाँटकर तथा मुख्य विचारों को सामासिक शैली में सारगर्भित रूप में व्यक्त करना ही संक्षिप्त लेखन की विशेषता है। सामान्यतः संक्षिप्त लेखन मूल संदर्भ का एक-तिहाई हिस्सा/भाग होता है।
- **स्पष्टताः** संक्षिप्त लेखन में अर्थ की स्पष्टता होनी चाहिये। संक्षिप्त लेखन को पढ़ने से मूल अवतरण का आशय स्पष्ट हो जाना चाहिये।
- **भाषा की सरलताः** संक्षिप्त लेखन की भाषा आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिये। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिये, जो सरल तथा स्पष्ट हो। अलंकृत भाषा एवं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

अध्याय
23

पत्रकारिता

पत्रकारिता को छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस अध्याय में पत्रकारिता से संबंधित महत्त्वपूर्ण तत्त्वों, जैसे- अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएँ, कार्य, प्रकार, नए आयाम एवं सिद्धांत आदि का उल्लेख किया गया है, जो पत्रकारिता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सहायता प्रदान करेंगे।

अर्थ एवं परिभाषा

पत्रकारिता वह माध्यम है जिसमें सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, तथ्यों, समस्याओं इत्यादि का लिखित या मौखिक अथवा ऑडियो-वीडियो के माध्यम से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं देश तक संप्रेषित किया जाता है। यह समाज के एक वृहत् समूह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पत्रकारिता समाज में नवचेतना विकसित करने का एक प्रमुख साधन बन गया है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह अपने शहर, राज्य व देश की विषयवस्तुओं, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना चाहता है अर्थात् उसमें जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। यही जिज्ञासा पत्रकारिता के विकास को बल प्रदान करती है जिसमें सूचनाओं, तथ्यों, जानकारियों इत्यादि का आदान-प्रदान किया जाता है।

पत्रकारिता शब्द अंग्रेज़ी के 'जर्नलिज़्म' का हिन्दी अनुवाद है। 'जर्नलिज़्म' शब्द का निर्माण 'जर्नल' शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है- 'दैनिकी', 'दैनंदिनी'। 'जर्नलिज़्म' अर्थात् पत्रकारिता का अर्थ समाचार-पत्र या पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतीकरण, वितरण आदि होता है। आज के समय में पत्रकारिता के अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे- अखबार, पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन, वेब-पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इंटरनेट इत्यादि।

भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्टस हीकी के द्वारा 'बंगाल गज़ट' के रूप में की गई थी। वर्ष 1826 में 'उदंत मार्तंड' नाम से जुगुल किशोर शुक्ल द्वारा हिन्दी में समाचार-पत्र प्रकाशित किया गया।

विभिन्न विचारकों एवं विद्वानों द्वारा पत्रकारिता को अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है-

न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी के शब्दों में, "प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है।"

सी.जी. मूलर के अनुसार, "सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक-ठीक प्रस्तुतीकरण होता है।"

डॉ. भँवर सुराणा के शब्दों में, "पत्रकारिता वह धर्म है, जिसका संबंध पत्रकार के उस कर्म से है, जिसमें वह तात्कालिक घटनाओं और समस्याओं का सबसे अधिक सही और निष्पक्ष विवरण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे और जनमत जाग्रत् करने का श्रम भी करे।"

पत्रकारिता की विशेषताएँ

पत्रकारिता की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

- पत्रकारिता समाज का दर्पण है, जो समाज में घट रही घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करती है।
- पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है।
- यह तथ्यों एवं सूचनाओं का लेखन, संपादन, प्रकाशन तथा प्रसारण करने का माध्यम होता है।
- पत्रकारिता में विवेकशीलता का समावेश होता है।
- पत्रकारिता देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करती है।
- पत्रकारिता कम समय में अधिक लोगों को प्रभावित करती है।
- यह मानवीय गुणों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- पत्रकारिता जनता को जागरूक करने के साथ ही उन्हें प्रेरणा भी प्रदान करती है।

अध्याय
24

प्रारूप लेखन (पत्र लेखन)

प्रारूप लेखन (पत्र लेखन) के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में किस-किस प्रकार के पत्र एवं प्रारूपों को निश्चित किया गया है तथा विगत वर्षों में आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की थी। इस अध्याय में औपचारिक पत्र/अनौपचारिक पत्र, शासकीय पत्र, अर्द्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, प्रपत्र, विज्ञापन, पृष्ठांकन, टिप्पण एवं टिप्पणी तथा प्रतिवेदन लेखन संबंधी महत्त्वपूर्ण आयामों को स्पष्ट करते हुए प्रत्येक का प्रारूप/नमूना/उदाहरण आदि प्रस्तुत किया गया है जिससे इस खंड से आने वाले सारे प्रश्नों एवं समस्याओं का हल एक जगह हो सके।

24.1 पत्र *(Letter)*

हिन्दी में प्रारूप को रूपरेखा, कच्चा मसौदा या आलेख के रूप में जाना जाता है। इसे अंग्रेजी भाषा में 'ड्राफ्ट' कहते हैं। जब किसी विभाग या कार्यालय में किसी परिपत्र, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रपत्र, शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय आदि पत्र भेजने से पूर्व जो रूपरेखा या ढाँचा तैयार किया जाता है, उसे प्रारूप कहते हैं।

प्रारूप लेखन प्रक्रिया में सर्वप्रथम लिपिक द्वारा किसी पत्र का कच्चा मसौदा तैयार करके स्वीकृति के लिये अधिकारी के पास भेजा जाता है, अधिकारी उसमें आवश्यक संशोधन करके लिपिक के पास भेज देता है। इस तरह से प्रारूप लेखन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। प्रारूप लेखन में औपचारिकता, तथ्यपरखता, संक्षिप्तता, उद्धरण, पूर्णता, भाषा शैली आदि बातों का ध्यान रखा जाता है।

पत्र की विशेषताएँ

एक अच्छे पत्र की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-

- किसी भी पत्र की भाषा-शैली सरल व सहज होनी चाहिये।
- पत्र में विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिये।
- पत्र में दिये गए तथ्यों एवं सूचनाओं की सत्यता होनी चाहिये।
- पत्र में संक्षिप्तता एवं संपूर्णता होनी चाहिये।
- पत्र क्रमिक एवं प्रभावशाली होना चाहिये।
- पत्र में व्याकरण की गलती नहीं होनी चाहिये।
- पत्र में शिष्टाचार का ध्यान अवश्य देना चाहिये।
- निश्चित प्रारूप का प्रयोग किया जाना चाहिये।

पत्र के प्रकार

पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-

अनौपचारिक पत्र

ऐसा पत्र, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना निजी (स्वयं का) परिचय देता है, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें पत्र भेजने वाले और पाने वाले के बीच घनिष्ठ (व्यक्तिगत) संबंध होता है। यह पत्र माता-पिता, भाई-बहन, मित्र या रिश्तेदारों को लिखा जाता है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596